न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -37/2023

अनवान

भुवाना पिता नारायण, जाति ओड़, आयु 58 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र भुवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. मोहन पुत्र भुवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, पेशा काश्त, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. कमली बाई पुत्री भैरू, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
4. गंगा वाई पुत्री नारायण, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
5. गट्टू बाई पत्नी भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
6. गेन्दमल पुत्र भैरू, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
7. गुलावी वाई पत्नी नाराण, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
8. चन्दा वाई पुत्री भवना, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
9. टोमा वाई पुत्री नाराण, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
10. ताराचन्द पुत्र नाराण, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी बिना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
11. प्रेम वाई पुत्री नाराण, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी बिना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
12. वरजी वाई पुत्री नाराण, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
13. भूली बाई पुत्री नाराण, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
14. मनभर वाई पुत्री भवाना, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
15. मोहनी वाइ पुत्री भैरू, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
16. रामा बाई पत्नी भैरू, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
17. संतरा वाई पुत्री भैरू, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
18. संतोष वाई पुत्री भैरू, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी विना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
19. सुरेश पुत्र भैरू, जाति ओड़, आयु बालिग, निवासी बिना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा।
20. हरकु वाई पुत्री भवाना, जाति ओड़, आयु वालिग, निवासी बिना का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
21. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री रईस अहमद मंसूरी अभिभाषक प्रार्थी

अप्रार्थी सं. 1,2,8,14,20 की ओर से श्री आजाद हुसैन

अप्रार्थी सं. 4,6,10,13 की ओर से श्री लालचन्द प्रजापत

अप्रार्थी सं. 3,5,7,9,11,12,15,16,17,18,19 एकतरफा कार्यवाही।

अप्रार्थी संख्या 21 पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक 19.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:11:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] ने [illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा0टि0एक्ट [illegible] हेतु एवं बंटवारे हेतु न्यायालीय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें [illegible] संभावना एंव आशा है जो अवश्य ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा, लेकिन निर्णय होने [illegible] मय लगने की संभावना है लेकिन तब तक अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 प्रार्थी के खेत पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी व सहखातेदार के खातेदारी कब्जे काश्त का एक खेत ग्राम बिना का खेड़ा, प0ह0 मेघनिवास, भू.अ. नि. क्षेत्र बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 53, रकबा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

0.8500 हेक्टर एवं खसरा संख्या 54 रकबा 0.4000 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.2500 हेक्टर स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/24 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसका लगान वादी/प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में जमा करता आ रहा है। मुझ प्रार्थी के खेत पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दिनांक 11.04.2023 को आये और प्रार्थी के साथ मारपीट कर प्रार्थी के उक्त खातेदारी हक व हिस्से की आराजी के खेत पर जबरन कब्जा करना चाहा, प्रार्थी के उक्त खेत खसरा पर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जबरदस्ती अपने कब्जे के लिए हथियार भी अपने साथ लेकर आये और स्पष्ट धमकी देने लगे कि वह इस पर कब्जा करके ही रहेंगे, इस कारण से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना नितान्त आवश्यक है। आस-पड़ोस के खेत वालों ने मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को कब्जा करने हेतु देखा तो उनके द्वारा बीचबचाव कर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को वहां से भगाया और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उस वक्त तो वहां से चले गये परन्तु प्रार्थी को स्पष्ट कहा कि वह इस खेत की प्रार्थी के हिस्सेदारी पर कब्जा करके ही रहेंगे, प्रार्थी के इस खेत पर अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका अर्थ में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/24 का हक व हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जिससे प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं यदि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थी के खेत पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी 1,2,3,5,6,8 व 14 लगायत 20 तक के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा साधिर फरमाई जावे कि अप्रार्थी स्वयं अथवा अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थी के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजी पर इस खेत पर उसके हिस्सेदार पर ना तो स्वयं कब्जा करें और ना ही किसी अन्य के जरिये कब्जा प्राप्त करें, प्रार्थी को उसके इस खेत के हिस्सेदारी खसरे से बेदखल नहीं करे और मौके पर यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3. 5,7,9,11,12,15,16,17,18,19 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। विपक्षी संख्या 1,2,8,14,20 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन व अप्रार्थी संख्या 4,6,10,13 की ओर से अधिकवक्ता श्री लालचन्द प्रजापत मय वकालतनामा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1,2,8,14,20 एवं 4,6,10,13 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय द्वारा इनका जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के सहखाते व कब्जे की जमीन ग्राम बिना का खेड़ा, प0ह0 मेघनिवास, भू.अ. नि. क्षेत्र बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 53, रकबा 0.8500 हेक्टर एवं खसरा संख्या 54 रकबा 0.4000 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.2500 हेक्टर स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/24 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त कृषि आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा कर मुझ प्रार्थी को मेरे कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने [illegible] संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी [illegible] होगी, इसलिए अप्रार्थी संख्या को 01 व 02 को अस्थाई [illegible] है कि वह प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का [illegible] से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। इसके विपरित [illegible] अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर बंटवारा होकर सभी [illegible] अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मनगढंत एवं झूठा है, जो खारीज होगा तथा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जो नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh G
Date: 2024.11.27 17:11:37 IS
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमीन ग्राम बिना का खेड़ा, प0ह0 मेघनिवास तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ में वादीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 53, रकबा 0.8500 हेक्टर एवं खसरा संख्या 54 रकबा 0.4000 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.2500 हेक्टर स्थित कृषि भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रार्थी का हक हिस्सा निहित होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज रहें तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि पर दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करायें तथा उभय पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoria
Date: 2024.11.27 17:11:37 IST
Reason: SelfAttested